



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक 26 नवम्बर 2023

थाना स्याना

स्याना हिंसा के मुख्य अभियुक्त/ गैंगस्टर द्वारा गोकशी की घटनाएं करके सृजित सम्पत्ति कीमत लगभग 38.40 लाख रुपये कुर्क की गयी-

जिलाधिकारी बुलन्दशहर के आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 26.11.2023 को उपजिलाधिकारी स्याना, क्षेत्राधिकारी स्याना, प्रभारी निरीक्षक थाना स्याना द्वारा पुलिस टीम को साथ लेकर गोकश गैंगस्टर **महबूब अली पुत्र अब्दूल मारुफ निवासी मौ0 चौधरियान कस्बा व थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर** द्वारा गोकशी जैसे जघन्य अपराध कारित कर आर्थिक एवं भौतिक लाभ अर्जित कर सृजित/क्रय की गयी कस्बा स्याना में स्थित अचल सम्पत्ति (अनुमानित 38.40 लाख रुपये) को गैंगस्टर अधिनियम की धारा-14(1) के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये जब्त किया गया है।

उल्लेखनीय है कि महबूब अली उपरोक्त वर्ष 2018 में थाना स्याना क्षेत्रान्तर्गत हुई घटना/हिंसा का मुख्य अभियुक्त हैं। इस घटना में तत्कालीन थाना प्रभारी की हत्या हो गयी थी। अभियुक्त महबूब थाना स्याना का हिस्ट्रीशीटर भी हैं।

अपराधी महबूब अली की जब्त की गयी सम्पत्ति का विवरण-

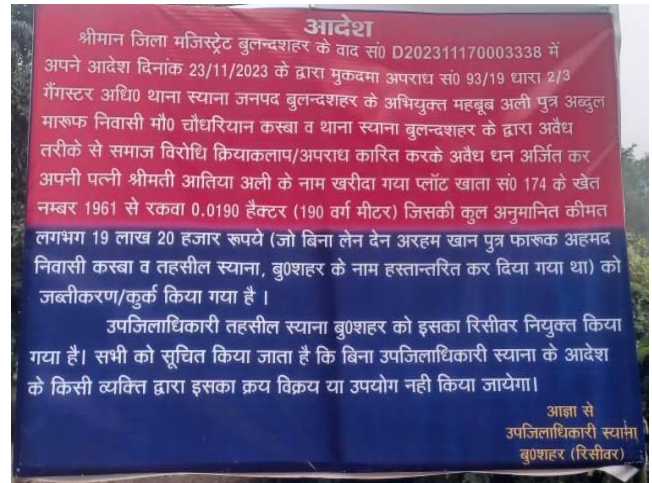
- 1- 02 प्लॉट (कुल क्षेत्रफल 380 वर्ग मीटर)
- 2- कुल कीमत 38.40 लाख रुपये।

अभियुक्त महबूब अली का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं-62/14 धारा 379 भादवि व 4/10 वन अधिनियम थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअसं-260/14 धारा 379 भादवि व 4/10 वन अधिनियम थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर।
3. मुअसं-152/15 धारा 147,148,149,332,504,506,353 भादवि थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर।
4. मुअसं-367/16 धारा 4/10 वन अधिनियम थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर।
5. मुअसं-582/18 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम व 295 ए भादवि थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर।
6. मुअसं-584/18 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर।
7. मुअसं-11/19 धारा 3(2) रासुका अधिनियम थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर।
8. मुअसं-93/19 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर।
9. मुअसं-303/19 धारा 506 भादवि थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर।
10. मुअसं-84/22 धारा 504,506 भादवि थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर।

कार्यवाही करने वाली प्रशासन/पुलिस टीम का विवरण-

- 1- सुश्री प्रियंका गोयल उपजिलाधिकारी स्याना मय राजस्व टीम।
- 2- श्री भास्कर कुमार मिश्रा क्षेत्राधिकारी स्याना।
- 3- श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना स्याना मय पुलिस टीम।
- 4- श्री मनोज कुमार थानाध्यक्ष नरसेना मय पुलिस टीम।



मीडिया सैल बुलन्दशहर